न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 185/2024 दायर दिनांक 24.07.2024

वादीगण		प्रतिवादी
1. रामनिवास पुत्र स्व. शंकरराम जाति मेघवाल निवासी सींवा तहसील लाडनूं जिला डीडवाना–कुचामन 2. जगदीश पुत्र मुलतान जाति बावरी निवी फरडोद तहसील जायल जिला नागौर राज.	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, व रेकर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act एवं 136 L.R.Act

1. श्री छोटूराम चौधरी वकील वादीगण।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 13.08.2025

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वाकै सरहद बांठडी पटवार हल्का बिंचावा में खेत खसरा संख्या 369 रकबा 0.2500 हैक्टेयर गै. मु. आवासीय प्रयोजनार्थ, तथा खेत खसरा संख्या 368 रकबा 0.0600 है. गै.मु.रास्ता खेत खसरा संख्या 853/369 रकबा 0.1800 है. गै.मु. आवासीय प्रयोजनार्थ जमीन वादीगण की खातेदारी दर्ज है। वादी संख्या 2 जगदीश ने खेत खसरा संख्या 568/177 रकबा 04 बीघा सम्पूर्ण खसरा पूर्व खातेदारी राधाकिशन पुत्र हणुताराम जाति मेघवाल निवासी रणसीसर से खरीद किया था जिसका म्युटेशन अपने नाम दर्ज होने पर वादी संख्या 2 जगदीश ने उक्त खसरा 04 बीघा में से 02 बीघा 01 बिस्वा का बैचाण वादी संख्या 1 रामनिवास के पख में कर दिया जिसका म्युटेशन वादी संख्या 1 रामनिवास के नाम दर्ज होकर नये खसरा संख्या 705/568 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा दर्ज हुआ। इस प्रकार वादी संख्या 1 रामनिवास के बंट में खसरा संख्या 705/5688 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा तथा वादी संख्या 02 जगदीश के बंट में मूल खसरा संख्या 568/177 रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा रहा। उक्त वर्णित नये खसरों 369, 368, 853/369 के पुराने खसरा संख्या 705/568 व 568/177 थे। जो वादी संख्या 2 ने ख. संख्या 568/177 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा की सम्पूर्ण जमीन व वादी संख्या 01 ने खसरा संख्या 705/568 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा की सम्पर्ण जमीन गैर मुमकिन आवासीय प्रयोजनार्थ कन्वर्ट कराने के बाद वादी संख्या 1 के बंट में 11 बिस्वा जमीन व वादी संख्या 2 के बंट में 9 बिस्वा जमीन राज्य सरकार की हाई–वे सडक योजना में सरकार को सलेन्डर कर दी। संवत् हाल में सैटलमेंट अधिकारियों द्वारा हाल सैटलमेंट में दौरान गलती से वादी संख्या 1 के बंट के खसरा संख्या 705/568 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा में 11 बिस्वा जमीन राज्य सरकार को सलेन्डर करने के बाद शेष जमीन 1 बीघा 10 बिस्वा की जमीन को वादी संख्या 2 जगदीश के नाम दर्ज करके नये खसरा संख्या 369 रकबा 0.2500 है. गैर मुमकिन आवासीय प्रयोजनार्थ दर्ज कर दिये तथा गलती से वादी संख्या 02 के बंट के खसरा संख्या 568/177 रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा में 09 बिस्वा जमीन राज्य सरकार को सलेन्डर करने के बाद शेष जमीन 1 बीघा 10 बिस्वा की जमीन को वादी संख्या 1 रामनिवास के नाम दर्ज करके नये खसरा संख्या 368 रकबा 0.0600 है. गैर. मुमकिन रास्ता व खसरा संख्या 853/369 0.1800 गै.मु.आवासीय प्रयोजनार्थ दर्ज कर दिये जबकि मौके पर कोई रास्ता नहीं है। जो कतई गलत [illegible]

वादी की प्रार्थना इस प्रकार हैः–

राजस्व ग्राम बांठडी पटवार हल्का बिंचावा के खसरा [illegible] 368 रकबा 0.0600 हैक्ट. गैर मुमकिन रास्ता व खसरा संख्या 853/369 रकबा 0.1800 गै.मु.आवासीय प्रयोजनार्थ, की जमीन में से प्रतिवादी संख्या 1 रामनिवास के नाम दर्ज खाते[illegible] को हटाया जाकर उनके नाम दर्ज गलत खातेदारी की भूमि को वादी संख्या 2 जगदीश के नाम खातेदारी में दर्ज किया जावे। तथा खातेदारी में से खसरा संख्या 368 रकबा 0.0600 है. गै.मु.रास्ता को हटाया जाकर उक्त रकबे को खसरा संख्या 853/369 रकबा 0.1800 गै.मु.आवासीय प्रयोजनार्थ में दर्ज किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:19:27 IST
Reason: SelfAttested

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

जावे। तथा खसरा संख्या 369 रकबा 0.2500 गै.मु.आवासीय प्रयोजनार्थ, की जमीन में से प्रतिवादी संख्या 02 जगदीश के नाम दर्ज खातेदारी को हटाया जाकर उनके नाम दर्ज गलत खातेदारी की भूमि को वादी संख्या 01 रामनिवास के नाम खातेदारी घोषित किया जाकर रेकर्ड दुरूस्ती फरमाई जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार छोटीखाटू से जरिये पत्रांक–1216 दिनांक 14.07.2025 के द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, अधिवक्ता वादी ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया सरहद बांठडी पटवार हल्का बिंचावा के खसरा संख्या 368 रकबा 0.0600 हैक्ट. गैर मुमकिन रास्ता व खसरा संख्या 853/369 रकबा 0.1800 गै.मु.आवासीय प्रयोजनार्थ, की जमीन में से प्रतिवादी संख्या 1 रामनिवास के नाम दर्ज खातेदारी को हटाया जाकर उनके नाम दर्ज गलत खातेदारी की भूमि को वादी संख्या 2 जगदीश के नाम खातेदारी में दर्ज किया जावे। तथा खातेदारी में से खसरा संख्या 368 रकबा 0.0600 है. गै.मु.रास्ता को हटाया जाकर उक्त रकबे को खसरा संख्या 853/369 रकबा 0.1800 गै.मु.आवासीय प्रयोजनार्थ में दर्ज किया जावे। तथा खसरा संख्या 369 रकबा 0.2500 गै.मु.आवासीय प्रयोजनार्थ, की जमीन में से प्रतिवादी संख्या 02 जगदीश के नाम दर्ज खातेदारी को हटाया जाकर उनके नाम दर्ज गलत खातेदारी की भूमि को वादी संख्या 01 रामनिवास के नाम खातेदारी घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड को दुरूस्त करवाने की इस्तदुआ कर रहा है। रेकर्ड के अवलोकन अनुसार खसरा संख्या 369, 853/369 गैर मुमकिन आवासीय प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तित किया जा गया है। जिसका वादी रेकर्ड दुरूस्त करवाना चाहता है। चुंकि खसरा नम्बर 369, 853/369 की भूमि राजस्व भूमि नहीं होकर सम्परिवर्तित भूमि है। जिसका न्यायालय को क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त नहीं है। अतः वाद वादी परिपोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है।

–:: आदेश ::–

राजस्व ग्राम बांठडी पटवार हल्का बिंचावा के खसरा संख्या 368 रकबा 0.0600 हैक्ट. गैर मुमकिन रास्ता व खसरा संख्या 853/369 रकबा 0.1800 गै.मु.आवासीय प्रयोजनार्थ, की जमीन में से प्रतिवादी संख्या 1 रामनिवास के नाम दर्ज खातेदारी को हटाया जाकर उनके नाम दर्ज गलत खातेदारी की भूमि को वादी संख्या 2 जगदीश के नाम खातेदारी में दर्ज किया जावे। तथा खातेदारी में से खसरा संख्या 368 रकबा 0.0600 है. गै.मु.रास्ता को हटाया जाकर उक्त रकबे को खसरा संख्या 853/369 रकबा 0.1800 गै.मु.आवासीय प्रयोजनार्थ में दर्ज किया जावे। तथा खसरा संख्या 369 रकबा 0.2500 गै.मु.आवासीय प्रयोजनार्थ, की जमीन में से प्रतिवादी संख्या 02 जगदीश के नाम दर्ज खातेदारी को हटाया जाकर उनके नाम दर्ज गलत खातेदारी की भूमि को वादी संख्या 01 रामनिवास के नाम खातेदारी घोषित किया जाकर रेकर्ड दुरूस्ती बाबत वादी का हस्तगत वाद खारीज किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026-04-09 17:19:27 IST
Reason: SelfAttested

(विकास मोहन भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 13.08.2025 को सेर इजलास सुनाया गया।

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना